न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 64/22

1. विनोद कुमार
2. महेन्द्र
3. ओमप्रकाश
4. श्यामसुन्दर पुत्रगण मखनलाल
5. उषा
6. शारदा
7. सुलोचना पुत्रीयां मखनलाल
8. शान्ति देवी पत्नी मखनलाल समस्त जाति महाजन निवासीगण कुशलपुरा तहसील व जिला सीकर

--वादीगण--

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र भागीरथ
2. मुकेश पुत्र शंकरलाल
3. हरिराम पुत्र अर्जुनलाल
4. मनोहरलाल पुत्र अर्जुनलाल
5. कृष्णावतार पुत्र अर्जुनलाल
6. अनिता देवी पुत्री अर्जुनलाल
7. नर्बदा देवी पुत्री अर्जुनलाल
8. द्रोपदी देवी पत्नी रामनिवास
9. सुमित पुत्र रामनिवास
10. अनुज पुत्र रामनिवास समस्त जाति महाजन निवासीगण ग्राम कुशलपुरा तहसील व जिला सीकर
11. तहसीलदार, सीकर

– प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 53 रा.का.अ. एवं 136 एल.आर.एक्ट

8/7/2022

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

उपस्थित –वकील वादीगण– श्री भूरामल कुमावत
वकील प्रतिवादीगण – श्री बाबूलाल कुमावत

निर्णय

दिनांक : 8/7/2022

वकील वादीगण ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम कुशलपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि आराजी खसरा नम्बर 1398 रकबा 2.76 है0, 1402 रकबा 2.8100 है0 एवं 1403 रकबा 2.7600 है0 अवस्थित है। जिसका मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने बाहमी बंटवारा कर अपने हिस्से पर आई भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। उक्त भूमियों के सहखातेदार भागीरथदेवी पत्नी अर्जुनलाल, शंकरलाल पुत्र भागीरथ तथा रामनिवास पुत्र अर्जुनलाल का देहान्त हो चुका है जिनके विधिक वारिसान का दावे में पक्षकार बनाया गया है। बाहमी बंटवारे के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1402 रकबा 2.8100 है0 सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बराबर–बराबर हिस्से में आई है। खसरा नम्बर 1403 रकबा 2.7300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के हिस्से में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 10 प्रत्येक का 1/15 हक व हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1398 रकबा 2.7600 है0 सम्पूर्ण पर वादीगण काबिज काश्त है। उक्त भूमियां राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज है। पक्षकारान द्वारा आसी सहमति से बाहमी बंटवार कर काबिज काश्त है परन्तु विधिवत वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। जिसके कारण पक्षकारान को सरकारी सहायता लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादीगण को सहमति से बंटवारा करवाने के लिये कहा तो मना कर दिया । इसलिये वाद कारण उत्पन होकर दावा करना लाजिम हुआ। दावा स्वीकार किया जाकर बाहमी बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 1402 रकबा 2.8100 है0 सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बराबर–बराबर हिस्से में आई है। खसरा नम्बर 1403 रकबा 2.7300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के हिस्से में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 10 प्रत्येक का 1/15 हक व हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1398 रकबा 2.7600 है0 सम्पूर्ण पर वादीगण को काबिज काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये वकील उपस्थित रहे। इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया ।

(signature) 8/7/2022

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

वकील उभय पक्ष ने राजीनामा के अनुसारा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमियां में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की खातेदारी भूमियां है।

वाद वादीगण बाहमी बंटवारे के अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम कुशलपुरा तहसील व जिला सीकर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1402 रकबा 2.8100 है0 सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बराबर-बराबर हिस्से का खसरा नम्बर 1403 रकबा 2.7300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को प्रत्येक का 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 10 प्रत्येक को 1/15 हक व हिस्से का तथा खसरा नम्बर 1398 रकबा 2.7600 है0 सम्पूर्ण पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/7/22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

8/7/22

(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी- सीकर